

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,  
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 147 / दो-34(3) / 2025-26,  
दिनांक: चौबटिया: अप्रैल, 21 / 2025

-: कार्यालय ज्ञाप:-

शासन के द्वारा शासनादेश सं०-282747/XXX(2)/2025-ई-20917, दिनांक 17.03.2025 द्वारा लोक सेवकों के लिये कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 को स्थानान्तरण सत्र वर्ष 2025-26, में लागू किये जाने के दृष्टिगत प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के अन्तर्गत निम्नवत स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है-

- 1- डा० रतन कुमार,  
प्रभारी अपर निदेशक  
कार्या०-अपर निदेशक, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून।  
अध्यक्ष
- 2- डा० सुरेश राम,  
संयुक्त निदेशक, मुख्यालय।  
सम्प्रति-अपर निदेशक कार्या०-राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून।  
सदस्य
- 3- श्रीमती अंजू करगेती,  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।  
सदस्य

कृपया समिति से अपेक्षा की जाती है कि लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रत्येक प्राविधानों का पूर्ण परीक्षण करते हुए अनुरोध/ अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण के संबंध में आख्या/ मन्तव्य अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इस संबंध में प्राविधानानुसार एक अन्य अधिकारी अन्य विभाग से नामित होगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्राविधानानुसार समिति के बैठक के संबंध में तिथि का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

  
निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 147 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संबंधित अधिकारीगण।
- 2- समस्त पटल सहायक (स्थापना) मुख्यालय।

  
निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,  
उत्तराखण्ड।